रणजीत बनाम फुलीदेवी आदि
प्रकरण संख्या 28/2023 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपसी राजीनामा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के राजीनामा व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 7 डीडब्ल्यूएम के प.नं. 174/18(31) के कि.नं. 1/2 की 0.228 है. में से 0.012 है., 2 की 0.253 है. में से 0.013 है., 3 की 0.253 है. में से 0.013 है. कुल 0.038 है. उतरी पासा पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि चक 7 डीडब्ल्यूएम के प.नं. 174/18(31) के कि.नं. 15 की 0.253 है. में से 0.038 है. भूमि दक्षिणी पासा की पूर्व से पश्चिम लम्बाई में अप्रार्थी सं. 1 फुलीदेवी के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:49:03 IST
Reason: SelfAttested